बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in
ट्यूटर हैण्डल :- @UppcbMathura

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 78/0-76/2022 दिनांक 19-4-2022

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0– 275/2021 रघुवीर सिंह एवं अन्य वनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 के अनुक्रम में मैं0 जी0बी0ए0 स्टील्स प्रा0लि0, खसरा सं0–609, ग्राम–बरहना, नन्द गांव रोड, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा की निरीक्षण आख्या।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.04. 2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग उत्पादनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विनोद चौहान पुत्र श्री मटरू सिंह चौहान, फोरमैन (मो0नं0 9412628064) एवं श्री रोहित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, सुरक्षाकर्मी उपस्थित थे। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में टायर पाइरोलिसिस यूनिटों से निकलने वाले वीडिंग वायर स्क्रैप्स, एम0एस0 स्क्रैप्स, स्पंज आयरन, फैरोमैगजीन व फेरो सिलिकान इत्यादि का प्रयोग करके एम0एस0 इंगाट्स का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होने वाले प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु एक संयुक्त प्राइमरी हुड के साथ वेन्चुरी स्क्रबर तथा सेकेन्डरी हुड के साथ स्क्रबिंग सिस्टम स्थापित है, जिन्हें संयुक्त रूप से जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी से सम्बद्ध किया गया है। उद्योग के स्थापनार्थ बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एफ 00524/सी–4/एन0ओ0सी0–657/2012 दिनांक 05.03.2012 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय द्वारा 21.07.2022 तक सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी थी किन्तु उद्योग द्वारा उसमें निहित शर्तो का अनुपालन न किये जाने के कारण एवं बार–बार उद्योग के विरूद्ध शिकायती पत्र प्राप्त होने के कारण इस कार्यालय के पत्र सं0 705/जी–100/2021 दिनांक 21.10.2021 द्वारा सहमति वायु मैन्यूवली रिवोक कर दी गयी थी। वर्तमान में उद्योग बिना बोर्ड सहमति के कार्यरत है तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन भी नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के ऊपर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईड लाईन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. श्री प्रदीप मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

19/04/2022
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0– 275/2021 रघुवीर सिंह एवं अन्य वनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 के अनुक्रम में मैं0 जी0बी0ए0 स्टील्स प्रा0लि0, खसरा सं0–609, ग्राम–बरहना, नन्द गांव रोड, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित विषय सम्बन्ध में उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा दिनांक 19.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्पादनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विनोद चौहान पुत्र श्री मटरू सिंह चौहान, फोरमैन (मो0नं0 9412628064) एवं श्री रोहित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, सुरक्षाकर्मी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में टायर पाइरोलिसिस यूनिटों से निकलने वाले वीडिंग वायर स्क्रैप्स, एम0एस0 स्क्रैप्स, स्पंज आयरन, फैरोमैगजीन व फेरो सिलिकान इत्यादि का प्रयोग करके एम0एस0 इंगाट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग नवम्बर–2012 से उत्पादनरत है।
2. उद्योग में एम0एस0 इंगाट्स के उत्पादनार्थ 6.0 मीट्रिक टन प्रति हीटिंग क्षमता के दो क्रूसिबल स्थापित हैं, जिनमें से एक समय मे केवल एक ही क्रुसिवल कार्यरत रहता है। दूसरा क्रुसिवल स्टैण्ड बाई के रूप में कार्यरत है। उद्योग में दोनों क्रुसिवलों को संचालित करने के लिए एक इलैक्ट्रिक पैनल स्थापित है।
3. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक कुलिंग, वेस्ट वीडिंग बायर की धुलाई एवं घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है। औद्योगिक कुलिंग से जनित उत्प्रवाह को कुलिंग टावर के माध्यम से ठाण्डा करके शत–प्रतिशत कुलिंग प्रक्रिया में रिसाईकिल कर लिया जाता है तथा वेस्ट वीडिंग वायर की धुलाई से जनित उत्पव्राह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग परिसर में ई0टी0पी0 स्थापित है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह को सैप्टिक टैंक के माध्यम से सोकपिट में निस्तारित किया जाता है।
4. उद्योग द्वारा भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है, भूमिगत जल का टी0डी0एस0 हाई होने के कारण उद्योग परिसर में एक आर0ओ0 प्लान्ट स्थापित है जिसका परमिएट वाटर औद्योगिक/घरेलू प्रयोजनार्थ प्रयुक्त कर लिया जाता है, जबकि रिजेक्ट वाटर को उद्योग परिसर के अन्दर स्थित एक कच्चे टैंक में एकत्र होता है, जिसका आंशिक भाग परिसर में छिडकाव के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि शेष भाग सूख जाता है। इस प्रकार उद्योग द्वारा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का कोई उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है।
5. उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होने वाले प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु एक संयुक्त प्राइमरी हुड के साथ वेन्चुरी स्क्रबर तथा सेकेन्डरी हुड के साथ स्क्रबिंग सिस्टम स्थापित है, जिन्हें संयुक्त रूप से जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी से सम्बद्व किया गया है।
6. निरीक्षण के दौरान उद्योग उत्पादनरत पाया गया किन्तु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं पायी गयी। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का आई0डी0 फैन बन्द पाया गया, जिससे शैड दूषित गैसों से भरा पाया गया।
7. उद्योग के स्थापनार्थ बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एफ 00524/सी–4/एन0ओ0सी0–657/2012 दिनांक 05.03.2012 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय द्वारा जारी सशर्त सहमति (जल/वायु) जो कि दिनांक 31.07.2022 तक वैध थी, में निहित शर्तों का अनुपालन न करने कारण उद्योग की सहमति (वायु) क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्र संख्या–705/जी–100/2021 दिनांक 21.10.2021 द्वारा रिवोक की जा चुकी है। उद्योग को पूर्व में निर्देशित किया गया था कि बिना बोर्ड सहमति के उद्योग का संचालन न किया जाये, किन्तु उद्योग द्वारा उपरोक्त की अवेहलना करके उद्योग का संचालन किया जा रहा है।
8. उद्योग स्थल (Lat-27.766345, Lon-77.4413248) से विद्या देवी जिन्दल स्कूल 780 मी0, सेन्ट फोरेन्सेस कान्वेन्ट स्कूल 660 मी0 एवं सेन्ट टेरेसा स्कूल 700 मी0 दूरी पर स्थित है। उद्योग स्थल से निकटम आबादी ग्राम–बरहना (आबादी लगभग–4000) 500 मी0 की दूरी पर स्थित है। इन्डक्शन फर्नेश के स्थापनार्थ बोर्ड द्वारा स्थल के सम्बन्ध में कोई पृथक गाईड लाईन अर्थात् साइटिंग क्राइटेरिया नहीं बनायी गयी है।
9. उद्योग वर्तमान में बगैर बोर्ड सहमति के संचालित है अतः उद्योग के ऊपर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईड लाईन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं।

19.4.2022

19.4.2022

(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक

(डी0के0 गुप्ता)
सहा0पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

19/4/2022

मैं0 जी0बी0ए0 स्टील्स प्रा0लि0, खसरा सं0–609, ग्राम–बरहना, नन्द गांव रोड, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा के निरीक्षण दिनॉक 19.04.2022 के दौरान लिऐ गये दृष्यों का फोटोग्राफ